न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 93/2016

1. रामकुमार
2. बृजलाल

पिसरान बीरबलराम जाति मेघवाल निवासी ढींगावाली हाल आबाद चक 17 आर.जे.डी तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर।

3. राजेन्द्रकुमार पुत्र हंसराज जाति मेघवाल निवासी ढींगावाली हाल आबाद चक 17 आर.जे.डी. तहसील घडसाना जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थीगण

बनाम

1. दौलतराम पुत्र गिरधारीराम जाति सुथार निवासी 17 आर.जे.डी. तहसील घडसाना हाल निवासी डबलीबास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ —मृतक

1/1 गौमती देवी पत्नी दौलतराम जाति सुथार 1/2 पासी देवी 1/3 राधा देवी 1/4 विद्या देवी 1/5 धापा देवी 1/6 खेतपाल 1/7 सतपाल 1/8 लिछमा देवी 1/9 अनसुईया 1/10 श्यामलाल	पिसरान दौलतराम जाति सुथार	निवासी हाल वार्ड नं. 13 डबली बास पेमा तहसील व जिला हनुमानगढ।

2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घडसाना। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956

विरुद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी घडसाना दिनांक 19.11.2015 व 08.01.2016

उपस्थिति:–

श्री सोहनलाल वर्मा अभिभाषकगण अपीलार्थी

2/5/18

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

श्री कृष्णलाल लदोइया अभिभाषक रेस्पों. सं. 1
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 21.05.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील उपखण्ड अधिकारी घडसाना के आदेश दिनांक 19.11.2015 व 08.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त आदेश के द्वारा प्रार्थी/रेस्पों. दौलतराम को चक 17 आर.जे.डी. के मु.नं. 18/44 के कि.नं. 1 से 11, 13, 15 की 3.289है0 भूमि मिडियम पेत्र में आवंटन करने के आदेश दिये हैं एवं प्रार्थी द्वारा किश्त राशि जमा करवाने पर आवंटन आदेश जारी करने के आदेश दिये गये।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट सं. 1 व 2 की माता व अपीलांट सं. 3 की दादी रूकमा को वर्ष 1980 में चक 17 आर.जे.डी. के मु.नं. 18/44, 18/45, 18/54 की 42 बीघा भूमि आवंटन की गई थी। तब से उक्त भूमि पर अपीलांट व उसके परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है। उक्त भूमि किश्तों के अभाव में खारिज की गई थी जो दिनांक 10.11.2015 को आवंटन आदेश बहाल किया गया। परन्तु रेस्पों. सं. 1 ने विवादित 3.289है0 भूमि अपने नाम से आवंटन करवा ली। जिस दिन रेस्पों. को आवंटन किया गया उस दिन विवादित भूमि पर अपीलांट का कब्जा चला आ रहा था। पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट की गई है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने, बिना पक्षकार बनाये पारित किया गया है। अपील पेश करने की अनुमति बाबत अपीलांट ने 96सीपीसी का प्रा.पत्र पेश किया है जो स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति दी जावे। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

21/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पों. द्वारा मिडियम पेच में आवंटन का प्रा.पत्र पेश करने पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट लेकर रकबा राज का ही रेस्पों. को आवंटन किया गया है। अपीलांट को आवंटन 1980 में हुआ था और उन्होंने 10.11.2015 को किश्तें जमा करवाने पर आवंटन बहाल किया गया था। सन 1980 से लेकर 2015 तक विवादित भूमि रकबा राज थी। ऐसी स्थिति में रकबा राज का आवंटन करने में अधी. न्यायालय ने कोई भूल नहीं की। अतः अपील खारिज की जावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत धारा 96 का प्रा.पत्र पेश किया है जिसका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 19.11.2015 व 08.01.2016 के विरूद्ध दिनांक 04.04.2016 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा. पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किये हैं उनका खण्डन रेस्पों. द्वारा प्रत्युत्तर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार करने की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना के आदेश दिनांक 19.11.2015 व 08.01.2016 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी. न्यायालय द्वारा अपीलांट को आवंटित आराजी का दोहरा आवंटन रेस्पों. को किया जाकर प्रथम किश्त जमा करवायी गई है जबकि विवादित आराजी अपीलांट को आवंटित होकर बकाया किश्तें जमा करने के आदेश की पालना में समस्त किश्त जमा करा दी है। अतः अपीलांट के आवंटन का अमलदरामद तथा रेस्पों. का आवंटन निरस्त करते हुए अमल इन्द्राजात विलोपित करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया. अधी. न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 10.11.2015 द्वारा अपीलांट की माता को आवंटित कृषि भूमि के सम्बन्ध

2/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

में तहसीलदार घडसाना को तहरीर जारी की गई कि कार्यालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर, कमांक राजस्व/2015/1153 दिनांक 10.11.2015 तहसीलदार (राजस्व) घडसाना, विषयः— प्रा.पत्र हंसराज पुत्र बीरबलराम जाति मेघवाल बाबत किश्त राशि जमा करवाकर रकबा बहाल करवाने, प्रसंगः— आपके कार्यालय का पत्रांक टीआरए/74 दिनांक 06.05.15, उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में लेख है कि प्रार्थी की माता रूकमादेवी पत्नी बीरबलराम जाति मेघवाल को आवंटित चक 17 आरजेडी के मु.नं. 18/44, 18/45, 18/54 की 42 बीघा भूमि की समस्त बकाया किश्त राशि नियमानुसार जमा करवायें। बकाया राशि जमा होने पर आवंटी का आवंटन बहाल किया जाता है। नियमानुसार आवंटी के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। इसी आदेश पर उपलब्ध अंकन अनुसार CN 882–883 अनुसार संलग्न E चालान की छायाप्रति अनुसार अपीलांट द्वारा देय राशि राजकोष में जमा करवा दी तथा इसी पर तहसीलदार घडसाना के पृष्ठांकन कमांक TRA/15/865 दिनांक 04.12.2015 द्वारा अपीलांट के अमलदरामद के आदेश पटवारी हल्का 17 आर. जे.डी को दिये गये , पटवारी हल्का द्वारा इन आदेशों की पालना करने के बजाय इसी भूमि के सम्बन्ध में रेस्पों. द्वारा अपीलांट के रकबा बहाली की तिथि के पश्चात रेस्पों. द्वारा तथाकथित 17.11.2014 की तिथि अंकित कर अधी. न्यायालय में एक प्रा. पत्र पेश किया। इस प्रा.पत्र पर पीठासीन अधिकारी ताज मोहम्मद द्वारा Rev मार्क कर दिनाक 17/11/ वर्ष खाली छोडकर मार्क किया गया। यह हरी स्याही से मार्क किया, इसी स्याही से दिनांक 19.11.2015 को आदेश किया जो Presume किया जा सकता है कि यह तिथि 17.11.2014 न होकर 17.11.2015 है बाबत तीन ही दिनों यथा 17.11.15 , 19.11.15 व 20.11.2015 को द्रुतगति से निम्नानुसार कार्यवाहियां हुई:—

दिनांक 17.11.2015 रेस्पों. द्वारा प्रा.पत्र पेश होकर पीठासीन अधिकारी का मार्क,

दिनांक 19.11.2015 अपीलाधीन आदेश प्रार्थी दौलतराम पुत्र गिरधारीलाल जाति सुथार साकिन 17 आरजेडी तहसील घडसाना द्वारा प्रा.पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थी के नाम से चक 17 आर.जे.डी. के मु.नं. 18/36 के कि.नं. 9 ता 12, 17, 19, 21 ता 25 की 2.911है0 कमाण्ड एवं मु.नं. 18/44 के कि.नं. 12, 14, 16 ता

2/5/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

25 की 2.911है0 कमाण्ड/अ0क0 कुल 5.822है0 कमाण्ड/अ0क0 भूमि खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है एवं प्रार्थी की भूमि के चिपती हुई मु.नं. 18/44 के कि.नं. 1 ता 11, 13, 15 की 3.289है0 अ0क0 भूमि आराजीराज दर्ज है। प्रार्थी इस आराजी भूमि को मिडियम पेच में आवंटन करवाना चाहता है। अतः प्रपत्र पेश कर निवेदन है कि चक 17 आरजेडी के मु.नं. 18/44 के कि.नं. 1 ता 11, 13, 15 की 3.289है0 अनकमाण्ड भूमि प्रार्थी को मिडियम पेश में आवंटन करने के आदेश प्रदान करें। तहसीलदार घडसाना की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी दौलतराम द्वारा चक 17 आरजेडी के मु.नं. 18/44 के कि.नं. 1 ता 11, 13, 15 की 3.289है0 अनकमाण्ड भूमि प्रार्थी को मिडियम पेच में आवंटन चाही गई है। प्रार्थी के नाम चक 17 आरजेडीके मु.नं. 18/36 के कि.नं. 9 ता 12, 17, 19, 21 ता 25 की 2.911है0 कमाण्ड एवं मु.नं. 18/44 के कि.नं. 12, 14, 16 ता 25 की 2.911है0 कमाण्ड/अ0क0 कुल 5.822है0 कमाण्ड/अ0क0खातेदारी दर्ज रिकार्ड है रकबा राज भूमि प्रार्थी दौलतराम की खातेदारी भूमि के चिपती हुई इसी मुरब्बा में स्थित है। अतः मिडियम पेच में आवंटन किया जा सकता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार मु.नं.18/44 के कि.नं. 1 ता 11, 13, 15 की 3.289है0 अनकमाण्ड आराजीराज दर्ज है। उक्त रकबा किसी सार्वजनिक कार्य हेतु आरक्षित/अवाप्त नहीं है। उक्त रकबा के संबंध में किसी न्यायालय में कोई विवाद या स्थगन नहीं है। उक्त रकबा किश्तों के अभाव में खारिज नहीं है। उक्त रकबा वन विभाग/जोहड पायतन/आबादी/अवैध खनन/शमशान/कब्रिस्तान आदि का नहीं है। प्रार्थी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं है। प्रार्थी की भूमि आवंटन कराने की प्रथम श्रेणी की पात्रता है। इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी दौलतराम ने निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा मिडियम पेच में चाहा गया रकबा उन्हीं के मुरब्बा में स्थित है। अतः मिडियम पेच की श्रेणी में आता है इस मुरब्बा में अन्य कोई काश्तकार नही है तथा इस संबंध में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से आर.बी.जे. 2005 पे ज सं. 260 मांगेखां बनाम सरकार में स्पष्ट व्याख्या दी है कि चिपते काश्तकार को नोटिस जारी की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी दौलतराम द्वारा चाहा गया रकबा प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चिपता हुआ उन्हीं के मुरब्बा में स्थित है। प्रार्थी दौलतराम द्वारा चाहा गया

राजस्व अपील

आराजीराज रकबा प्रार्थी की खातेदारी भूमि के चिपता हुआ उसी के मुरब्बा में स्थित है। इसलिए प्रार्थी दौलतराम ही उक्त भूमि को मिडियम पेच में आवंटन करवाने का प्रथम श्रेणी के पात्र है। अतः प्रार्थी द्वारा चाहा गया चक 17 आरजेडी के मु.नं. 18/44 के कि.नं. 1 ता 11, 13, 15 की 3.289है0 अनकमाण्ड आराजीराज भूमि प्रार्थी ही आवंटन करवाने का पात्र है। इसलिए उक्त भूमि प्रार्थी दौलतराम पुत्र गिरधारीलाल जाति सुथार साकिन 17 आरजेडी को वर्तमान डी.एल.सी. 120580/- रूपये अनकमाण्ड प्रति हैक्टर की दर पर 396600/-रूपये (अखरे तीन लाख छियानवें हजार छह सौ रूपये मात्र) में बतौर मिडियम पेच आवंटन किया जाता है। तहसीलदार घडसाना को प्रार्थी से प्रथम किश्त की राशि जमा करवाने हेतु पृथक से लिखा जावे। प्रथम किश्त की राशि जमा होने पर आवंटन आदेश जारी हो। पत्रावली तहसील कार्यालय से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो।

दिनांक 20.11.2015 राशि जमा कराने का आदेश कार्यालय उपखण्ड अधिकारी घडसाना जिला श्रीगंगानगर, क्रमांक राजस्व/2015/1184 दिनांक 20.11.15 तहसीलदार राजस्व घडसाना , विषयः- मीडियम पेच आवंटन की प्रथम किश्त की राशि जमा करवाने बाबत, उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रार्थी दौलतराम पुत्र गिरधारीलाल जाति सुथार साकिन 17 आरजेडी तहसील घडसाना को तहसील घडसाना के चक 17 आर.जे.डी. के मु.नं. 18/44 के कि.नं. 1 ता 11, 13, 15 की 3.289है0 अनकमाण्ड आराजीराज भूमि बतौर मीडियम पेच रूपये 396600-/रूपये (अखरे तीन लाल छियानवें हजार छह सौ रूपये मात्र) में आवंटन की गई है। प्रार्थी से प्रथम किश्त की राशि 15 दिवस में नियमानुसार जमा करवाकर इस कार्यालय को सूचित करें।

इस सम्बन्ध में विवाद का मुख्य कारण पटवारी हल्का 22 आर.जे.डी. जितेन्द्र महात्मा द्वारा रेकार्ड से परे उपरोक्त मिडियम पेच बाबत रिपोर्ट की गई जिसकी इबारत है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का 22 आर.जे.डी., सेवा में , श्रीमान उपतहसीलदार साहब, उप तह0 रावला, विषयः- मिडियम पेच आवंटन करने बाबत, मान्यवर जी, उपरोक्त विषयानुसार निवेदन है कि चक 17 आर.जे.डी. का प.नं. 18/36 का कि.नं. 9 ता 12, 17, 19, 21 से 25 की 2.911है0 कमाण्ड एवं प.नं. 18/44 का कि.नं.

राजस्व अपील प्राधिकारी

12.14, 16 से 25 2.911 कमाण्ड/अ0क0, 5.822है0 कमाण्ड/अ0क0 रकबा दौलतराम पुत्र गिरधारीलाल पुत्र खुमाराम कौम सुथार सा0 डबलीवास खातेदार रिकार्ड में दर्ज है। उक्त रकबा स्वयं के काश्त में है एवं प.नं. 18/44 का कि.नं. 1 से 11, 13, 15 रकबा 3.289है0 अ0क0 आराजीराज रकबा खाली है जो कि प्रार्थी के रकबे में विषता रकबा है। रकबे में किसी प्रकार विवाद व स्टे, वन पटटी, आबादी का नहीं है। अतः प.नं. 18/44 का कि.नं. 1 ता 11 , 13, 15 रकबा 3.289है0 अ0क0 मिडियम पेच में प्रार्थी का आवंटन किया जावे तो उचित होगा। रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

यही रिपोर्ट अपीलांट का आवंटन बहाल होते हुए रेस्पों. का मिडियम पेच का आवंटन किया गया जिस बाबत अपीलांट पटवारी जितेन्द्र के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जिसमें अनुसंधान द्वारा आरोप साबित होने पर पटवारी जितेन्द्र महात्मा के विरूद्ध माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया जो न्यायालय द्वारा जारी सत्यापित प्रति अनुसार इबारत है कि

मुकदमा से संबंधित संक्षिप्त हालात– श्रीमानजी हालात मुकदमा इस प्रकार से निवेदन है कि दिनांक 08.06.2016 के वक्त 9.30 ए.एम पर एक इस्तगासा अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत बअदालत श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग घड़साना से जरिये डाक परिवादीया राजेन्द्र कुमार का प्राप्त हुआ कि यदी मजमून परिवाद पत्र व अदालत न्यायिक मजिस्ट्रेट घड़साना राजेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति मेघवाल साकिन ढिगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 17 आर.जे.डी. घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) परिवादी बनाम 1. दौलतराम पुत्र गिरधारीलाल जाति सुथार साकिन 17 आरजेडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज. 2. जितेन्द्र महात्मा तत्कालीन राजस्व पटवारी 17 आरजेडी तहसील घड़साना हाल बीकानेर जिला में कार्यरत 3. संजय राजस्व पटवारी हल्का 17 आरजेडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर राज. मुलजिमान परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 467, 468, 471, 166, 167, 188, 120बी आई.पी.सी. श्रीमान जी परिवाद की ओर से परिवाद पत्र निम्न तथ्यों पर पेश है 1. यह कि तहसील घड़साना के वाके चक 17 आर.जे.डी. मु.नं. 18/44 व 18/45 व 18/54 की कुल 42 बीघा अनकमाण्ड रकबा परिवादी की दादी रूकमादेवी पत्नी बीरबलराम जाति मेघवाल को सन 1980 में सहायक उपनिवेशक आयुक्त घड़साना मुकाम अनूपगढ द्वारा आवंटन हुई थी। उक्त रकबा का अमलदरामद राजस्व रिकार्ड में रूकमादेवी के नाम से दर्ज हुआ। रूकमा देवी उक्त रकबा का कब्जा प्राप्त कर काश्त करने लगी लेकिन ईलाका हाजा में अकाल होने के कारण फसलें नही हुई, क्योंकि उक्त भूमि अनकमाण्ड थी व उक्त भूमि की समय पर किश्तें नहीं भरी गई इस कारण से सन 1985 के

2/5/18

आस–पास किश्तें ना भरने के कारण उक्त भूमि का आवंटन खारिज फरमा दिया गया, उसके बाद रूकमा देवी का 1999 में देहान्त हो गया। रूकमा देवी के हम वारिसान को उक्त भूमि किश्तों के अभाव में खारिज होने की जानकारी नहीं थी, वा हमें सन 2012 के आस–पास जानकारी हुई, कि उक्त भूमि किश्तो के अभाव में खारिज हो गई है, और राजस्व रिकार्ड में अराजीराज है, तब रूकमा देवी के हम वारिसान ने उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष एक प्रा. पत्र रकबा बहाल कर किश्तें भरवायें जाने का पेश किया जिस पर उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा मौका की रिपोर्ट मांगी गई जिस पर हल्का पटवारी मुलजिम संख्या 2 द्वारा उक्त रकबा किश्तों के अभाव में खारिज होना एव उक्त रकबा पर कब्जा आवंटी रूकमा देवी के वारिसान की देखरेख में होना की रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व घड़साना के पेश की, जिस पर उक्त रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व घड़साना के मार्फत उपखण्ड अधिकारी के समक्ष पेश हुई, जिस पर उपखण्ड अधिकारी घड़साना द्वारा दिनांक 31.12.2013 को उक्त रकबा बहाल कर बकाया किश्तें जमा करवाने के आदेश दिये गये। 2. यह कि मुलिजम संख्या 1 दौलतराम को अच्छी तरह से जानकारी थी, कि वाके चक 17 आरजेडी का मु.नं. 18/44 के कि.नं. 1 ता 11, 13, 15 कुल रकबा 3.289है0 अनकमाण्ड रकबा परिवादी की दादी रूकमा देवी पत्नी बीरबलराम जाति मेघवाल के नाम से आवंटित है वा उक्त रकबा अनुसूचित जाति का है, ने मुलजिम संख्या 2 जितेन्द्र महात्मा हल्का पटवारी ने मिलीभगत करके एक प्रा.पत्र दिनांक 04.06.2014 को तहसीलदार राजस्व घड़साना के समक्ष उक्त रकबा मिडियम पेच में आवंटन करने बाबत पेश किया जिस पर तहसीलदार राजस्व घड़साना द्वारा हल्का पटवारी से मौका की रिपोर्ट मांगी गई, जिस पर मुलजिम संख्या 2 जितेन्द्र महात्मा ने मुलिजम संख्या 1 दौलतराम से मिलीभगत के तहत सही तथ्यों को छुपाते हुए एक गलत तथ्यों की रिपोर्ट तैयार की, जिसमें इन तथ्यों को छुपाया गया कि उक्त रकबा रूकमा देवी पत्नी बीरबलराम जाति मेघवाल को पूर्व में आवंटन था और वह किश्तों के अभाव में खारिज था और उक्त रकबा चुकि अनुसूचित जाति को आवंटन हुआ था। इन सही तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में छुपाया ताकि उक्त रकबा मुलजिम संख्या 1 दौलतराम को आवंटित हो सकें। 3. यह कि मुलजिम संख्या 2 जितेन्द्र महात्मा की उक्त रिपोर्ट तथ्यों को छुपाते हुए तहसीलदार राजस्व घड़साना को पेश करने के पश्चात मुलजिम संख्या 1 दौलतराम ने एक प्रा.पत्र उपखण्ड अधिकारी महोदय, घड़साना के समक्ष वाके चक 17 आरजेडी के मु.नं. 18/44 का कि.नं. 1 ता 11, 13, 15 की कुल 3.289है0 अनकमाण्ड रकबा मिडियम पेच में आवंटित करने बाबत दिनांक 17.11.2014 को पेश किया जिसमें मुलजिम संख्या 2 पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल होने के कारण उपखण्ड अधिकारी ने दिनांक 19.11.2015 को उक्त रकबा का आवंटन आदेश जारी किया व प्रथम किश्त 15 दिन में जमा कराने के भी आदेश दिये जिस पर मुलजिम संख्या 1 दौलतराम ने दिनांक 21.12.2015 को किश्त राशि जमा करवाई, किश्त राशि जमा होने पर दिनांक 08.01.2016 को

मुलजिम संख्या 1 दौलतराम के पक्ष में उक्त भूमि का पट्टा जारी किया गया, जो शामिल परिवाद है। 4. यह कि इसी दौरान परिवादी की दादी रुकमा देवी के नाम से वाके चक 17 आरजेडी का मु.नं. 18/44, 18/45 व 18/54 की कुल 42 बीघा अनकमाण्ड भूमि की किश्त जमा करवाने का एक प्रा.पत्र परिवादी के पिता हंसराज द्वारा दिनांक 05.05.2015 को श्रीमान उपखण्ड अधिकारी घड़साना के समक्ष पेश किया, जिस पर तहसीलदार राजस्व घड़साना द्वारा हल्का पटवारी से उक्त रकबा की मौका की रिपोर्ट मांगी गई उस समय मौका पर हल्का पटवारी मुलजिम संख्या 2 जितेन्द्र महात्मा था, उसने दिनांक 05.05.2015 को ही अपनी रिपोर्ट में उक्त रकबा रुकमादेवी पत्नी बीरबलराम जाति मेघवाल के नाम से आवंटन है व उक्त रकबा पर कब्जा रुकमादेवी के वारिसान की देखरेख में है। उक्त रकबा बहाल करने की सिफारिश हेतु अपनी रिपोर्ट तहसीलदार घड़साना के समक्ष पेश की, जिस पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 10.11.2015 को उक्त रकबा बहाल कर किश्तें जमा करवाने के आदेश दिये, तब दिनांक 03.12.2015 को उक्त रकबा की समस्त बकाया किश्तें जमा करवा दी गई, जो शामिल परिवाद है। 5. यह कि पटवारी हल्का मुलजिम संख्या 2 जितेन्द्र महात्मा यह अच्छी तरह से जानता था कि वाके चक 17 आरजेडी का मु.नं. 18/44 के कि.नं. 1 ता 11,13, 15 में कुल 3.2896है0 रुकमा देवी का आवंटन किश्तों के अभाव में खारिज है व उक्त रकबा रुकमा देवी के वारिसों के कब्जा काश्त में है, उक्त रकबा अनुसूचित जाति का है, के तथ्यों को छुपाकर मुलजिम संख्या 1 दौलतराम को आवंटन करवाने में जो गलत तथ्यों पर रिपोर्ट तैयार की है, वह जानता था कि वह मेरे दायित्व में नहीं है, और मैं कानून का उल्लघंन करते हुए तथ्यों को छुपा रहा हूं और इसी आधार पर दोनों मुलजिमान ने सही तथ्य छुपाकर मुलजिम संख्या 1 दौलतराम को उक्त रकबा आवंटन करवाया है। 6. यह कि दिनांक 03.12.2015 को परिवादी द्वारा किश्ते जमा करवाने पर तहसीलदार राजस्व घड़साना ने मुलजिम संख्या 3 संजय हल्का पटवारी 17 आरजेडी को आदेश किया कि अगर कोई भूमि पर विवाद या स्थगन ना हो तो श्रीमान उपखण्ड अधिकारी घड़साना के आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में बहाली का परिवादी की दादी रुकमादेवी के नाम से अमलदरामद रिपोर्ट पेश करे। 7. यह कि मुलजिम दौलतराम द्वारा दिनांक 21.12.2015 को उक्त रकबा की किश्तें जमा करवाये जाने पर तहसीलदार घड़साना द्वारा दिनांक 11.01.2016 को मुलजिम संख्या 3 संजय आदेशित किया कि अगर उक्त रकबा पर अगर कोई स्थगन न हो तो उक्त आदेश की पालना की जावे, जिस पर पटवारी हल्का मुलजिम संख्या 3 ने भी दौलतराम से मिलीभगत कर रुकमादेवी के पक्ष में बहाली के आदेश को रोककर दौलतराम के नाम से इन्तकाल दर्ज किया जबकि मुलजिम संख्या 3 संजय व मुलजिम संख्या 1 दौलततराम जानते थे कि उक्त रकबा रुकमादेवी के नाम से दिनांक 03.12.2015 को बहाल हो चुका है व समस्त किश्ते जमा है वार रुकमादेवी के पक्ष में अमलदरामद करने के आदेश के बावजूद भी रुकमादेवी के पक्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

में अमलदरामद नहीं किया। 8. यह कि उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पर तीनों अभियुक्तगण ने एक अपराधिक षडयंत्र रचकर रूकमादेवी के हम वारिसान को नुकसान पहुंचाने की नियत से झूठी रिपोर्ट तैयार की जिस पर दौलतराम को अनुसूचित जाति की जमीन आवंटित हुई व रूकमादेवी के पक्ष में बहाली का आदेश होने के उपरांत भी उक्त रकबा का अमलदरामद नहीं करके दौलतराम के पक्ष में अमलदरामद कर मुलजिमानो ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 467, 168, 471, 166, 167, 188, 120बी का अपराध कारित किया है, इनको इनके कृत्य की सजा दी जावे। 9. यह है कि परिवादी इस घटना की सूचना देने पुलिस थाना रावला गया तब पुलिसवालों ने कहाकि अदालत का आदेश लेकर आओ फिर मुकदमा दर्ज करेंगे। अब परिवादी बिना किसी देरी के मुकदमा करवाने हेतु माननीय न्यायालय में पेश हुआ है। अतः परिवादी पत्र पेश कर श्रीमान जी से निवेदन है कि परिवाद पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस थाना रावला में भेजकर मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने के आदेश फरमावें। जनाब की कृपा होगी। दिनांक 11.05.2016 एसडी राजेन्द्र कुमार परिवादी राजेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति मेघवाल साकिन ढिंगावाली राठान तहसील व जिला श्रीगंगानगर हाल 17 आरजेडी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर (राज.) मो0नं. 9783818101 जिस पर मुकदमा नं. 103/16 धारा 467, 468, 471, 166, 167, 188, 120बी भादस में दर्ज कर तफतीश श्री राधेश्याम एसआई के सुपुर्द की गई।

दौराने अनुसंधान एएसआई ने मुस्तगीस श्री राजेन्द्र कुमार, गवाह बृजलाल, रामकुमार, हरीराम के ब्यान लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली किये। विवादित कृषि भूमि के मूल आवंटन पत्रावली आरोपी दौलतराम को मिडियम पेय आवंटन आदेश आवंटन प्रा.पत्र पटवारी रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा इन्तकाल आदेश जमाबन्दी मुस्तगीस का आवंटन बहाल करने के लिये प्रा.पत्र, पटवारी रिपोर्ट आवंटन आदेश, गिरदावरी रिपोर्ट आदि के प्रमाणित दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये।

प्रकरण में सम्पूर्ण अनुसंधान व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर तत्कालीन हल्का पटवारी आरोपी जितेन्द्र महात्मा ने लोभ लालच वश एक ही भूमि की दो अलग–अलग मिथ्या रिपोर्ट की जिससे वादी की भूमि का इंतकाल अन्य व्यक्ति के हो गया। तत्कालीन हल्का पटवारी आरोपी जितेन्द्र महात्मा ने लोभ व लालच वश उक्त रकबा की दिनांक 24.08.2014 को रकबा को अराजीराज होने की रिपोर्ट की तथा दिनांक 05.05.2015 को इसी रकबा को वारिशों की देखरेख में होने की रिपोर्ट की इस तरह एक ही भूमि को दो अलग–अलग मिथ्या रिपोर्ट की जिससे वादी हंसराज की भूमि इन्तकाल दौलतराम के हो गया। तत्कालीन हल्का पटवारी आरोपी जितेन्द्र महात्मा के खिलाफ धारा अन्तर्गत 166, 167, 477क भादस में जुर्म प्रमाणित पाये जाने पर आरोप

2/5/18
जनसूचना अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

काबिल जमानत पुलिस होने पर मुलजिम जितेन्द्र महात्मा का जमानत मुचलका भरा जाकर मुखलसी दी गई तथा दिनांक 04.12.2015 को तहसीलदार महोदय घड़साना ने संजय कुमार हल्का पटवारी 17 आरजेडी को प्रार्थी हंसराज के नाम राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद के आदेश किये थे तथा प्रार्थी हंसराज ने उसी रोज दिनांक 04.12.2015 को संजय कुमार हल्का पटवारी 17 आरजेडी को आदेश दे दिये। इसी रकबा का एसडीएम साहब ने दिनांक 08.01.2016 को दौलतराम के हक मे आवंटन पट्टा जारी कर तहसीलदार को नियमानुसार अमलदरामद के आदेश दिये तथा तहसीलदार ने दिनांक 11.01.2016 को हल्का पटवारी संजय कुमार को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करने के आदेश दिये थे मगर संजय कुमार हल्का पटवारी 17 आरजेडी ने प्रार्थी हंसराज के दिनांक 04.12.2015 के आदेशों की पालना नही करते हुए बाद में प्राप्त आदेश दिनांक 11.01.2016 की पालना कर वादी हंसराज की भूमि का इंतकाल दौलतराम के दर्ज कर दिया। आरोपी संजय कुमार हल्का पटवारी 17 आरजेडी के खिलाफ धारा 166, 167 , 477क भादस में जूर्म प्रमाणित पाये जाने पर धारायें काबिल जमानत पुलिस होने पर आरोपी संजय कुमार हल्का पटवारी 17 आरजेडी का जमानत मुचलका भरा जाकर मुखलसी दी गई। अन्य आरोपी श्री दौलतराम के खिलाफ अनुसंधान में जूर्म प्रमाणित नहीं पाया गया है। आरोपी जितेन्द्र महात्मा तत्कालीन हल्का पटवारी 17 आरजेडी तहसील घड़साना हाल हल्का पटवारी पीपेरा तहसील लूणकरणसर तथा आरोपी संजय कुमार हल्का पटवारी 17 आरजेडी तहसील घड़साना के खिलाफ श्रीमान जिला कलक्टर महोदय श्रीगंगानगर से अभियोजन स्वीकृति हासिल की गई।

अतः नतीजा चालानी जरिये चार्जशीट नम्बर 288 दिनांक 31.12.2016 बखिलाफ 1. जितेन्द्र कुमार पुत्र नेमीचन्द जाति महात्मा(जैन) उम्र 33 साल निवासी वार्ड नं. 16 भगतसिंह मार्केट खाजुवाला जिला बीकानेर हाल हल्का पटवारी पीपेरा लूणकरणसर बीकानेर, 2. संजय कुमार पुत्र शिशपाल सिंह जाति जाट उम्र 35 साल निवासी 6सी 89 जयनारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर हाल हल्का पटवारी 17 आरजेडी के जूर्म धारा 166, 167, 477क भादस में पेश अदालत कर निवेदन है कि मुलजिमान के साथ बाद समायत सलूक कानूनी फरमावे।

कागजात ज्यूडिशियल:–

(1) चार्जशीट ताजा (2) मूल इस्तगासा परिवादी राजेन्द्र कुमार (3) मूल आवंटन पत्रावली , आवंटन आदेश , नकल मिडपेंड आवंटन पत्रावली, नकल प्रति किश्त जमा करवाने बाबत रूकमादेवी पत्नी बिरबलराम मेघवाल की प्रमाणित फोटो प्रति (4) परिवादी हंसराज के पक्ष में तहसीलदार घड़साना द्वारा इंतकाल आदेशकी छाया प्रति (5) विवादित कृषि भूमि की जमाबन्दी, इंतकाल आदेश तथा गिरदावरी रिपोर्ट की प्रमाणित छाया प्रति (6) कार्यालय तहसीलदार घड़साना के आदेश क्रमांक 3737 दिनांक 07.09.2016 की मार्गदर्शन रिपोर्ट (7) जमानत मुचलके आरोपी

21/5/18

अपील प्राधिकारी (राज.)

जितेन्द्र कुमार महात्मा व संजय कुमार (8) डिस्पेच रजिस्टर तहसील घड़साना की प्रमाणित प्रति (9.) श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा आरोपियों के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति आदेश (10)गवाहन के बन्ध पत्र व आईडी (11) ब्यान परिवादी राजेन्द्र कुमार , बृजलाल, रामकुमार, हरिराम।

नाम पता गवाहान:-

1. श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र हंसराज जाति मेघवाल उम्र 25 साल निवासी 17 आरजेडी पुलिस थाना रावला हाल डिंगावाली पुलिस चुनावढ (परिवादी)
2. श्री बृजलाल पुत्र बिरबलराम जाति मेघवाल उम्र 45 साल निवासी डींगावाली पुलिस थाना चुनावढ (घटना के संबंध में)
3. श्री रामकुमार पुत्र बिरबलराम जाति मेघवाल उम्र 50 साल निवासी डींगावाली पुलिस थाना चुनावढ (घटना के संबंध में)
4. श्री हरिराम पुत्र हरचंद जाति मेघवाल उम्र 63 साल निवासी 22 आरजेडी पुलिस थाना रावला (चश्मदीद)
5. श्री राधेश्याम पुत्र दीपचंद सांखला जाति माली उम्र 41 साल निवासी नत्थूसर बास मालियों का मौहला बीकानेर पुलिस थाना नया शहर हाल एसआई पुलिस थाना रावला मो. नं. 2929148224(अनुसंधान बाबत)
6. करणसिंह पुत्र भागीरथ सिंह जाति राजपूत उम्र 58 साल निवासी म.नं.52 न्यू कॉलोनी सत्य नगर नजद करणीमाता मंदिर के पास झोटवाड़ा जयपुर हाल सीआई/एसएचओ पुलिस थाना रावला मो.नं.9829407356 (अनुसंधान व चार्ज शीट बाबत)
7. श्री अरविन्द कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट उम्र 44 साल निवासी 4 ई/45 जय नारायण व्यास कॉलोनी बीकानेर हाल सीआई/एसएचओ पुलिस थाना रावला मो.नं. 9414011938 (एफआईआर बाबत)

पत्रावली के अवलोकन, उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन करने तथा आपराधिक प्रकरण के नतीजे का अवलोकन करने के पश्चात यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पंहुचता है कि :-

1. अपीलांट की माता के नाम आवंटित भूमि बहैसियत कायम मुकाम अपीलांट के नाम दर्ज होने के बजाए रेकार्ड से प्रमाणित तथ्यों अनुसार नियम विरूद्ध रेस्पो. के नाम मिडियम पेच के रूप में आवंटित की गई है।

2/5/18

2. तथ्यों को छिपाकर रेस्पों. को किया गया आवंटन निरस्त योग्य होकर निरस्त किया जाता है।

3. रेस्पों. को मिडियम पेच के रूप में आवंटन पश्चात अगर रेकार्ड में अमलदरामद हुआ है तो वह नामान्तरण निरस्त योग्य होकर निरस्त किया जाता है।

4. विवादित आराजी की अपीलांट की सभी किश्तें राजकोष में जमा हो जाने की सूरत में अपीलांट के नाम अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

5. पटवारी जितेन्द्र महात्मा द्वारा नियम विरूद्ध रिकार्ड से परे रिपोर्ट करने से अनुसूचित जाति के व्यक्ति अपीलांट को litigation face करना पडा है तथा पटवारी के विरूद्ध चालान कोर्ट में पेश होना जाहिर किया गया है। अतः निर्णय की प्रति श्रीमान जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाए कि पटवारी के विरूद्ध सीसीए नियम 13 पठित नियम 16 की कार्यवाही करने का श्रम करावे।

उपरोक्त बिन्दु संख्या 1 से 5 तक के विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2015 व 08.01.2016 अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/5/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर